राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या – 294/2014/बांसवाड़ा

1. हकरा
2. कबा
3. सुखराम
4. जगमाल

पिसरान समस्त जाति भील निवासी बागीदौरा मजरा सांगडूंगरी तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपंपजीयक बागीदौरा जिला बासंवाड़ा।
2. श्रीमती हुकी
3. परमीला
4. उषा

पुत्रीयां मकन

5. जमना बेवा मकन
6. विठला पुत्र हामेंग

समस्त जाति भील निवासी बागीदौरा तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा।.....अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री राजेश गौतम
अभिभाषक
..... प्रार्थीगण की ओर से

श्री जमील जई
उपराजकीय अभिभाषक
..... अप्रार्थी सं. 1 की ओर से

अनुपस्थित
..... अप्रार्थीगण सं. 2 से 6

निर्णय दिनांक : 20/02/2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) वृत उदयपुर (जिसे आगे 'कलक्टर (मुद्रांक)' कहा जायेगा) के प्रकरण संख्या 223/2011 में पारित आदेश दिनांक 27.11.2012 के विरूद्व राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे 'मुद्रांक अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक बागीदौरा जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2m

लगातार.....2

2. प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण सं. 2 ता 6 से ग्राम बागीदौरा खाता सं. 490 की आराजी खसरा नं. 1450/02 रकबा 6 बीघा में से 1 बीघा 11 बिस्वा क्रय की जिसका विक्रय पत्र दिनांक 15.06.04 को पंजीबद्ध किया जाकर दस्तावेज लौटा दिया गया। महालेखाकार जांच दल द्वारा आक्षेप लिया गया कि विभाग के परिपत्र सं. 2 पैरा 3 (ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में छोटे भूखण्डों अथवा एक से अधिक क्रेता हो तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1000 वर्गगज से कम बनता हो तो उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए। जिला स्तरीय समिति द्वारा कार्यालय उपपंजीय बागीदौरा की निर्धारित दर के नोट क्रमांक 4 के अनुसार 1000 वर्गगज से कम की बिक्री कृषि भूमि पर संबंधित क्षेत्र की आवासीय दर की 60 प्रतिशत दर से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इस आधार पर प्रस्तुत रेफरेन्स को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय दिनांक 27.11.12 में यथावत स्वीकार करते हुये कमी मुद्रांक 1,45,809/– रू., कमी पंजीयन शुल्क 13258/– रू. एवं शास्ति 100/– रू. कुल 1,59,167/– रू. वसूल किये जाने के आदेश दिये गये जिसके विरूद्व प्रार्थीगण क्रेता द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थीगण सं. 2 से 6 अनुपस्थित रहें।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थीया ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई विवेचना एंव विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित किया है। निर्णय साइक्लोस्टाईल प्रपत्र में खानापूर्ति कर पारित किया है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि कृषि भूमि है जो आबादी से दूर स्थित है। प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित कृषि भूमि के चारो ओर कृषि भूमि है तथा कही कोई आबादी नहीं है। अधीनस्थ न्यायलय ने बिना किसी आधार एवं बिना मौका निरीक्षण किये निर्णय पारित किया है। प्रार्थीगण को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रार्थीगण को निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई थी। अधीनस्थ न्यायलय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है एंव तथ्यों के विपरीत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावें।

लगातार.....3

6. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत हैं। अतः निगरानी खारिज की जावें।
7. हमनें पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–
8. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रार्थीया को निर्णय की जानकारी वसूली की कार्यवाही से हुई है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।
9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स ऑडिट आक्षेप के निम्न आधार पर प्रस्तुत किया गया था कि " 1000 वर्गगज से कम भूखण्डों का मूल्यांकन विभाग के परिपत्र सं. 2 पैरा 3 (ख) के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में छोटे भूखण्डों अथवा एक से अधिक क्रेता हो तथा प्रत्येक क्रेता का हिस्सा 1000 वर्गगज से कम बनता हो तो उसका मूल्यांकन आवासीय दर से किया जाना चाहिए। " अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में इस बिन्दु बाबत् कोई जांच नहीं की है कि प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भूमि आबादी के पास है या नहीं क्योकि 1000 वर्गगज से कम के मामलों में आवासीय दर से मूल्यांकन तभी किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है जब प्रश्नगत दस्तावेज से संबंधित भमि आबादी के पास स्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को रेफरेन्स के बिन्दुओं के संबंध में राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत जांच कर रेफरेन्स के तथ्यों पर विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था। इस दृष्टिकोण से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है तथा प्रकरण रेफरेन्स के तथ्यों की जांच कर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।
10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में निगरानीधीन निर्णय दिनांक 27.11.2012 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 के अन्तर्गत रेफरेन्स के तथ्यों की जांच कर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 20.03.17 को पेश हो।
11. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य